वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 08, 2017

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 8 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, किसी व्यवहारी जिसने, समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ. 12(28)एफडी/टैक्स/2007/145 दिनांक 09.03.2007 (पैट्रोलियम कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवहारियों के लिये प्रशमन स्कीम) के अधीन कर के बदले में एकमुश्त राशि के संदाय का विकल्प दिया है और उक्त अधिसूचना के अधीन विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्रशमन रकम, ब्याज या विलम्ब फीस का निक्षेप करने में असफल रहा है, द्वारा संदेय कर के संदाय से इस शर्त पर इसके द्वारा तुरन्त प्रभाव से छूट देती है कि ऐसे व्यवहारी ने दिनांक 31.05.2017 तक उक्त अधिसूचना के अधीन विहित रीति में और समय के भीतर निक्षिप्त नहीं करायी गयी रकम पर उद्ग्रहणीय ब्याज की रकम के समतुल्य रकम के साथ उक्त अधिसूचना में वर्णित माल के पण्यावर्त के प्रत्येक दो लाख रुपये या उसके भाग के लिए तीन हजार रुपये की छूट फीस निक्षिप्त करा दी है।

[एफ.12(14)वित्त/कर/2017-87]
राज्यपाल के आदेश से,

शंकर लाल कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, March 08, 2017

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 8 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No.4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, with immediate effect, exempts from payment of tax payable by any dealer who has opted for payment of lump sum in lieu of tax under notification number F.12(28)FD/Tax/2007/145 dated 09.03.2007 (Composition Scheme for registered dealers having retail outlets of Petroleum Companies), as amended from time to time, and failed to deposit the composition amount, interest or late fee within the period specified under the said notification, on the condition that such dealer has deposited exemption fee of rupees three thousand for every rupees two lac or part thereof of the turnover of the goods mentioned in said notification along with an amount equal to the amount of interest leviable on the amount which has not been deposited in the manner and within the time prescribed under the said notification upto 31.05.2017.

[No.F.12(14)FD/Tax/2017-87]
By order of the Governor,

(Shankar Lal Kumawat)
Joint Secretary to the Government